

अध्याय 1

राज्य सरकार का वित्त

1. राज्य सरकार का परिचय

बिहार भू-भाग से धिरा एक ऐसा राज्य है, जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड एवं उत्तर में नेपाल से सटे लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भौगोलिक आकार (94163 वर्ग किमी) के दृष्टिकोण से यह भारत का बारहवाँ एवं जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है कि जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर (2001) से बढ़कर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर (2011) हो गया है। बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत के औसत गरीबी से अधिक है। तथापि, राज्य ने 2002–03 से 2011–12 तक की अवधि में उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसे कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 14.97 प्रतिशत रहा जबकि इसकी तुलना में सामान्य दर्जे के राज्यों¹ का विकास दर 14.46 प्रतिशत रहा। इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या की औसत वृद्धि² 13.90 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 17.89 प्रतिशत (सामान्य दर्जे के राज्यों में सर्वोच्च) हो गयी। वर्ष 2002–03 से 2011–12 की अवधि के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय मिश्रित वार्षिक विकास दर (13.10 प्रतिशत) आय सामान्य दर्जे के राज्यों की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर (13.09 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा अधिक रहा।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पिछले पाँच वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है। सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2** के भाग 'क' में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.2** के भाग 'ख' में प्रदर्शित किया गया है। यह विश्लेषण राज्य के वित्त लेखा तथा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 बनाया है, जो **परिशिष्ट 1.3 खण्ड 'क'** में दिया गया है। वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम (एफआर०बी०एम०), 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति **परिशिष्ट 1.3** के खण्ड 'ख' में दी गयी है।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन–देन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष के तुलना में चालू वर्ष (2011–12) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन–देन को दर्शाता है। चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ–साथ प्राप्ति एवं संवितरण का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है।

¹ ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तिब्बतिकम, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड) के अतिरिक्त अन्य राज्य।

² सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखेल भारतीय औसत की गणना 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों से प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर की गयी है (दिल्ली, गोआ तथा पुडुचेरी को छोड़कर)।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय लेन—देन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2010-11	2011-12	संवितरण	2010-11	2011-12		
खण्ड—क:					गैर—योजना	योजना	योग
राजस्व प्राप्तियाँ	44532.32	51320.17	राजस्व व्यय	38215.92	34012.66	12486.83	46499.49
कर राजस्व	9869.85	12612.10	सामान्य सेवाएँ	15286.97	17569.44	160.28	17729.72
गैर—कर राजस्व	985.53	889.86	सामाजिक सेवाएँ	15089.42	9523.52	9205.26	18728.78
संघीय कर/ शुल्कों का अंश	23978.38	27935.23	आर्थिक सेवाएँ	7836.28	6916.53	3121.29	10037.82
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	9698.56	9882.98	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.25	3.17	-	3.17
खण्ड—खः पूँजीगत							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	पूँजीगत व्यय	9195.94	39.59	8812.42	8852.01
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	11.86	22.51	ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	1102.63	220.72	1685.36	1906.08
लोक ऋण प्राप्तियाँ *	6032.42	6627.96	लोक ऋण का पुनर्भुगतान*	2190.03	-	-	2922.46
अन्तर्राजीय परिशोधन प्राप्तियाँ	0.00	75.41	अन्तर्राजीय परिशोधन भुगतान	0.00	-	-	1.39
आकस्मिकता निधि	1150.00	800.00	आकस्मिकता निधि	1150.00	-	-	800.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	17321.25	22302.61	लोक लेखा भुगतान	16749.02	-	-	21393.22
प्रारम्भिक नगद शेष	2291.13	2735.44	आतिम नगद शेष	2735.44	-	-	1509.45
योग	71338.98	83884.10	योग	71338.98			83884.10

*अर्थों पाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफट शुद्ध लेन—देन को छोड़कर

(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2011–12 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:


- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 15.24 प्रतिशत (₹ 6787.85 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः अपने कर राजस्व में 27.78 प्रतिशत (₹ 2742.25 करोड़) तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में 16.50 प्रतिशत (₹ 3956.85 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।
- राज्य का अपना कर राजस्व बजट प्राक्कलन (₹ 12582.90 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग के निर्धारण (₹ 9302.67 करोड़) से क्रमशः 0.23 प्रतिशत (₹ 29.20 करोड़) तथा 35.58 प्रतिशत (₹ 3309.43 करोड़) अधिक हो गया।
- करेतर राजस्व में 9.71 प्रतिशत (₹ 95.67 करोड़) की कमी आयी जिसका मुख्य कारण वर्ष 2009–10 में भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को प्रदत्त ₹ 384.93 करोड़ के ऋण माफी की वसूली होना था। करेतर राजस्व भी 70.20 प्रतिशत (₹ 2096.08 करोड़) था जो बजट प्राक्कलन (₹ 2985.94 करोड़) से कम तथा तेरहवें वित्त आयोग (₹ 1773.53 करोड़) के निर्धारण से 49.83 प्रतिशत (₹ 883.67 करोड़) नीचे था।
- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 21.68 प्रतिशत (₹ 8283.57 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर व्यय में 15.98 प्रतिशत (₹ 2442.75 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 24.12 प्रतिशत (₹ 3639.36 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में

28.09 प्रतिशत (₹ 2201.54 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 49933.56 करोड़) से 6.88 प्रतिशत (₹ 3434.07 करोड़) कम था।

- वर्ष के दौरान गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 24.45 प्रतिशत (₹ 6690.15 करोड़) की वृद्धि हुई तथा योजनागत व्यय में 6.23 प्रतिशत (₹ 1249.49 करोड़) की वृद्धि हुई।
- ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 89.80 प्रतिशत (₹ 10.65 करोड़) की वृद्धि हुई। इसी प्रकार ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में 72.87 प्रतिशत (₹ 803.45 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके कारण संवितरणों में ₹ 792.80 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- वर्ष के दौरान परिसंपत्ति सूजन पर पूँजीगत व्यय में 3.74 प्रतिशत (₹ 343.93 करोड़) की कमी हुई।
- इसके अतिरिक्त, कुल व्यय का 89.63 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति से हुआ तथा शेष पूँजीगत प्राप्ति तथा उधार निधियों से हुआ।
- लोक लेखा प्राप्तियों में 28.76 प्रतिशत (₹ 4981.36 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि संवितरणों में 27.73 प्रतिशत (₹ 4644.20 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके कारण लोक लेखा में ₹ 337.16 करोड़ की निवल वृद्धि हुई।
- लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों में 9.87 प्रतिशत (₹ 595.44 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि इसके पुनर्भुगतान में 33.44 प्रतिशत (₹ 732.43 करोड़) की वृद्धि हुई जिसके कारण लोक ऋण में ₹ 136.89 करोड़ की निवल कमी हुई।
- इन लेन-देन के परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में नकद शेष के रूप में 44.82 प्रतिशत (₹ 1225.99 करोड़) की कमी हुई।

1.1.2 बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आंकड़े

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानक के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट प्राक्कलन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1.5 में दिया गया है।



(स्रोत: बजट एवं राज्य वित लेखा, 2011–12)

उपर्युक्त चार्ट से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ:

1. राजस्व प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन द्वारा किये गए प्रक्षेपण से बजट प्राक्कलन ₹ 4886 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन की तुलना में

- ₹ 2096 करोड़ (70 प्रतिशत) के करेतर राजस्व की कमी होना हुई। तथापि कर राजस्व में ₹ 29 करोड़ (0.23 प्रतिशत) से बढ़ी हुई।
2. राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ बजट प्राक्कलन से क्रमशः ₹ 3435 करोड़ (6.87 प्रतिशत) तथा ₹ 6540 करोड़ (42.48 प्रतिशत) कम था। राजस्व व्यय में अंतर का कारण सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 2133.37 करोड़ सामान्य सेवाओं के अंतर्गत ₹ 775.39 करोड़ तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 524.36 करोड़ का कम व्यय था जो कि सहायता अनुदान तथा अंशदान के अंतर्गत ₹ 0.95 करोड़ कम था।
 3. राजस्व अधिशेष बजट प्राक्कलन से ₹ 1451 करोड़ (23.13 प्रतिशत) कम था जिसका मुख्य कारण बजट प्राक्कलन में कि गए प्रक्षेपण से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 4886 करोड़ (8.69 प्रतिशत) की कमी तथा राजस्व व्यय में बजट प्राक्कलन में किए गए प्रक्षेपण से ₹ 3435 करोड़ की कमी होना था।
 4. बजट प्राक्कलन (₹ 6194 करोड़) में किये गए प्रक्षेपण से राजकोषीय धाटा ₹ 280 करोड़ कम था जिसका कारण मुख्यतः बजट प्राक्कलन में किये गए प्रावधानों से राजस्व अधिशेष ₹ 1451 करोड़ कम था।
 5. बजट प्राक्कलन (₹ 1456 करोड़) में किये गए प्रक्षेपण से प्राथमिक धाटा ₹ 154 करोड़ अधिक हो गया।

1.2 राज्य के संसाधन


1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन प्राप्तियों के दो प्रवाह—राजस्व और पूँजी से बने हैं। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) भारत सरकार से अग्रिम एवं ऋण और लोक लेखा से संभूति सम्मिलित है।

चार्ट 1.2 वर्ष 2007–12 के दौरान प्राप्तियों के प्रवृत्ति को दर्शाता है तथा **चार्ट 1.3** वर्ष 2011–12 के दौरान इन प्राप्तियों के अवयवों को प्रदर्शित करता है।



पूँजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन सम्मिलित हैं।
(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत: वर्ष 2011–12 के राज्य वित्त लेखे)

चार्ट संख्या 1.2 तथा 1.3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि:

- वर्ष 2007–12 के दौरान कुल प्राप्तियों में 88 प्रतिशत (₹ 37664 करोड़) की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2007–12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 82 प्रतिशत (₹ 23110 करोड़) की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों में 311 प्रतिशत (₹ 9466 करोड़) की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2007–12 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों में 74 प्रतिशत (₹ 9466 करोड़) की वृद्धि हुई।

पुनः, राज्य के वित्तीय लेखा की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2011–12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृहत् वृद्धि मुख्यतः बिक्री, वाणिज्य आदि पर कर में 64.06 प्रतिशत (₹ 2919 करोड़), निगम कर के अंश में 17.32 प्रतिशत (₹ 1623 करोड़), सेवा कर के अंश में 39.45 प्रतिशत (₹ 943 करोड़), राज्य उत्पाद में 30.04 प्रतिशत (₹ 458 करोड़), ब्याज प्राप्तियों में 141.09 प्रतिशत (₹ 336 करोड़) आदि में वृद्धि होना था।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों³ को हस्तांतरित किया जाता है। ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार से होकर व्यय नहीं की जाती हैं, अतः वार्षिक वित्त लेखा इन निधियों के प्रवाह एवं सीमा को नहीं दर्शाता है, उनसे प्राप्त राज्य की प्राप्तियाँ तथा व्यय साथ ही अन्य राजकोषीय परिवर्ती कारक/मानक ने इन निधियों का ध्यान नहीं रखा।

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का सीधा हस्तांतरण निधि के उपयोगिता में चूक हेतु पर्याप्त नियंत्रण यंत्र प्रस्तुत करता है तथा जिसके अभाव में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक राजकोषीय


³ राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ, वैसे गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल हैं जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से, राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य क्रियान्वयन, राष्ट्रीय ग्रामीण रवास्थ्य मिशन के लिए राज्य रवास्थ्य समिति आदि निधि प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हैं।


प्रचालन तथा दायित्व में पारदर्शिता प्रभावित तथा बाधित हो सकती हैं। कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण **परिशिष्ट 1.6** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2011–12 के दौरान भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधा ₹ 8958 करोड़ हस्तांतरित किया जो पूर्व वर्ष से 13 प्रतिशत कम था। चालू वर्ष में निधि के हस्तांतरण में मुख्य कमी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (₹ 944 करोड़), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत (₹ 263 करोड़) निबंधन समितियों तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (₹ 197 करोड़) के मामले में पायी गयी जबकि मुख्य प्राप्तकर्ता बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (₹ 1851 करोड़, 21 प्रतिशत), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (₹ 1851 करोड़, 21 प्रतिशत), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (₹ 3575 करोड़, 40 प्रतिशत) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निबंधित समितियाँ (₹ 3196 करोड़, 36 प्रतिशत) थे।

1.3 राजस्व प्राप्तियों

वित्त लेखे का विवरण संख्या 11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। वर्ष 2007–12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः **परिशिष्ट 1.7** तथा **चार्ट 1.4** तथा **1.5** में दर्शाया गया है।





(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित लेख)

उपयुक्त चार्टों से प्रदर्शित होता है कि:

- वर्ष 2007-12 के अवधि में राजस्व प्राप्तियों में 81.92 प्रतिशत (₹ 23110 करोड़) की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में मुख्य अंशदाता राज्य का अपना कर राजस्व था जिसके अंश में वर्ष 2007-08 में 18 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 25 प्रतिशत हो गयी।
- भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान का अंश वर्ष 2007-08 में 21 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 19 प्रतिशत हो गयी। केन्द्रीय कर हस्तांतरण का अंश भी वर्ष 2007-08 में 59 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 54 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2007-08 के दौरान करेतर राजस्व राजस्व प्राप्तियों का दो प्रतिशत रहा जो वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में बढ़कर क्रमशः तीन प्रतिशत तथा पाँच प्रतिशत हुआ परन्तु वर्ष 2010-12 के दौरान इसका अंश घटकर पुनः दो प्रतिशत हो गया।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.2 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	28210	32981	35527	44532	51320
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.21	16.91	7.72	25.35	15.24
राज्य का अपना कर	5086	6173	8090	9870	12612
राज्य का अपना कर की वृद्धि दर(प्रतिशत)	26.11	21.37	31.05	22.00	27.78
जी.एस.डी.पी.(₹ करोड़ में)	118923	151650	177537	217814	262230
जी.एस.डी.पी. का विकास दर	14.88	27.52	17.07	22.69	20.39
आर.आर/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	23.72	21.75	20.01	20.44	19.57
उत्पलवता अनुपात ⁴					
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राजस्व उत्पलवता	1.49	0.61	0.45	1.12	0.75
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष में राज्य का अपना उत्पलवता	1.75	0.78	1.82	0.97	1.36

(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित लेख)

⁴ उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राज्यकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है। जैसे—राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियों 0.6 प्रतिशत बढ़ेगा।

अध्याय 1—राज्य सरकार का वित्त

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विकास दर वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान दो अंकों में रहा सिवाय वर्ष 2009–10 में जबकि यह वर्ष 2008–09 में 16.91 से गिरकर वर्ष 2009–10 में 7.72 प्रतिशत हो गया। तथापि यह पुनः वर्ष 2010–11 में बढ़कर 25.35 प्रतिशत हुआ तथा अंतोगत्वा वर्ष 2011–12 में गिरकर 15.24 प्रतिशत हो गया। मध्यवर्ती वर्ष परिवर्तन के साथ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का अपना कर उत्पलवता वर्ष 2007–08 में 1.75 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 1.36 प्रतिशत हो गयी।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूंकि केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है, अतः केन्द्रीय कर प्राप्तियों का संग्रहण तथा योजना कार्यक्रम आदि हेतु केन्द्रीय सहायता और अतिरिक्त संसाधनों के संगठन में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन स्वयं के कर एवं करेतर संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए। वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य सरकार के वास्तविक करों एवं करेतर राजस्व साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के आकलन एवं बजट प्राक्कलन को नीचे के तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3 आकलन/प्रस्तावना एवं वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	तेरहवीं वित्त आयोग का आकलन	राज्य के बजट प्राक्कलन	वास्तविक
कर राजस्व	9303	12583	12612
करेतर राजस्व	1774	2986	890

(स्रोत: राज्य के वित्त लेखे, तेरहवीं वित्त आयोग, बजट प्राक्कलन)

यद्यपि, वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य का अपना कर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के आकलन से ₹ 3309 करोड़ ज्यादा तथा बजट प्राक्कलन से ₹ 29 करोड़ अधिक था तथापि, करेतर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के आकलन तथा राज्य के बजट प्राक्कलन से क्रमशः ₹ 884 करोड़ तथा ₹ 2096 करोड़ कम था जो राज्य के अवास्तविक बजट प्रक्षेप को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान करेतर राजस्व में पूर्व वर्ष से भी ₹ 95 करोड़ कम था जिसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को वर्ष 2009–10 में दिये अनुदान स्वरूप ₹ 384.93 करोड़ के ऋण माफी की वसूली होना था। झारखंड सरकार द्वारा पूर्व—पुनर्गठन अवधि के पेशन देयता (₹ 7808.45 करोड़) को भुगतान नहीं करने के कारण भी राज्य के करेतर राजस्व में कमी हुई।

1.3.1.1 कर राजस्व

वर्ष 2007–12 के दौरान राज्य के कर राजस्व में 148 प्रतिशत (₹ 5086 करोड़ से ₹ 12612 करोड़) की वृद्धि हुई। वृद्धि के मुख्य घटक तालिका 1.4 में दर्शाये गए हैं।

तालिका 1.4 : कर राजस्व में 2007–12 में वृद्धि के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिक्री व्यापार आदि पर कर आदि, वृद्धि दर (प्रतिशत)	2535 22	3016 19	3839 27	4557 19	7476 64
राज्य उत्पाद शुल्क, वृद्धि दर (प्रतिशत)	525 37	679 29	1082 59	1523 41	1981 30
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, वृद्धि दर (प्रतिशत)	654 44	716 10	998 39	1099 10	1480 35
वाहन पर कर, वृद्धि दर (प्रतिशत)	273 51	298 10	345 16	455 32	569 25

(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

परिशिष्ट 1.7 राज्य सरकार के वित पर समयवार आंकड़े प्रस्तुत करता है।

परिशिष्ट में कर राजस्व के अवयवों के अध्ययन से प्रकट होता है कि:

- कर राजस्व का बड़ा अंश बिक्री, व्यापार आदि के राजस्व के अन्तर्गत था तथा जो वर्ष 2007–08 में 50 प्रतिशत से वर्ष 2011–12 में 59 प्रतिशत के बीच था।
- मुद्रांक एवं निबंधन का अंश वर्ष 2007–08 में 13 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 12 प्रतिशत हो गया।
- वाहनों पर कर का अंश भी वर्ष 2007–08 में पाँच प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में चार प्रतिशत हो गया।
- राज्य उत्पाद शुल्क का अंश वर्ष 2007–08 में 10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 16 प्रतिशत हो गया।

1.3.1.2 कर संग्रहण पर व्यय

पूर्व वर्षों के संपूर्ण भारत औसत के साथ, मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल संग्रहण, संग्रहण में हुआ व्यय तथा वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता नीचे तालिका 1.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5 : संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	सकल संग्रहण में व्यय	संग्रहण पर प्रतिशत व्यय	पूर्व वर्षों के लिए संपूर्ण भारत की औसत प्रतिशतता
1	वैट/बिक्री कर	2009-10	5541.00	48.84	0.88	0.88
		2010-11	6653.37	57.23	0.86	0.96
		2011-12	8414.43	66.17	0.79	0.75
2	राज्य उत्पाद शुल्क	2009-10	1081.68	44.02	4.07	3.66
		2010-11	1523.35	37.65	2.47	3.64
		2011-12	1980.98	41.24	2.08	3.05
3	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2009-10	997.90	45.90	4.60	2.77
		2010-11	1098.68	46.58	4.24	2.47
		2011-12	1480.07	43.10	2.91	1.60
4	वाहन कर	2009-10	345.13	10.41	3.02	2.93
		2010-11	455.43	16.92	3.72	3.07
		2011-12	569.13	22.31	3.92	3.71

(स्रोत: सूचना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा स्कॅच द्वारा प्रस्तुत)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में वर्ष 2009–12 के दौरान मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन शुल्क एवं वाहन कर के संबंध में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता संग्रहण की संपूर्ण भारत औसत लागत से अधिक थी।


यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को संग्रहण के उच्च लागत का विश्लेषण करना चाहिए तथा इस संबंध में उचित उपाय करना चाहिए।

1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य स्तर पर व्यय के विनिधान/प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाहयता थी। यह, तथापि, सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो।

1.4.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 पाँच वर्षों (2007–12) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

कुल व्यय के अंतर्गत राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम वर्ष 2007–08 में ₹ 29939 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 57257 करोड़ हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान कुल व्यय में ₹ 8742 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 8283 करोड़ (22 प्रतिशत) तथा ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 803 करोड़ (73 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई, जो पूँजीगत व्यय में ₹ 344 करोड़ (चार प्रतिशत) की कमी के कारण बराबर हो गयी। वर्ष 2007–12 के दौरान कुल व्यय के वृद्धि दर का रेंज 15 से 19 प्रतिशत तक रहा। कुल व्यय का वृद्धि दर भी वर्ष 2010–11 में 19 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 18 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2010–11 साथ ही वर्ष 2011–12 में कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 22 प्रतिशत था। वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 के दौरान कुल व्यय तथा इनके घटकों को तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6 में वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि कुल व्यय एवं उनके घटक नीचे दिए गए हैं।

तालिका 1.6 : कुल व्यय एवं उनके घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल व्यय	29939	35499	40813	48515	57257
वृद्धि दर	14.66	18.57	14.97	18.87	18.02
राजस्व व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	23563 (79)	28512 (80)	32584 (80)	38216 (79)	46499 (81)
जिसमें गैर राजस्व व्यय	18759	21232	24145	27316	34013
पूँजीगत व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	6104 (20)	6436 (18)	7332 (18)	9196 (19)	8852 (15)
ऋण एवं अग्रिम (कुल व्यय की प्रतिशतता)	272 (01)	551 (02)	897 (02)	1103 (02)	1906 (03)

(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पूर्व दायित्व के भुगतान करने में हुआ जिसके परिणामस्वरूप राज्य के आधारभूत संरचना एवं सेवा नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका।

राजस्व व्यय कुल व्यय का 81 प्रतिशत था, जिसमें 73 प्रतिशत गैर योजना व्यय पर था तथा 27 प्रतिशत योजना व्यय पर था (**परिशिष्ट 1.7**) जो यह प्रदर्शित करता है कि आधे से ज्यादा राजस्व व्यय गैर योजना व्यय पर हुआ।

योजनागत राजस्व व्यय

सामान्यतः सेवाओं के अनुरक्षण पर होने वाले व्यय में योजनागत राजस्व व्यय के अंश की कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2007–08 में 16 से वर्ष 2011–12 में 22 हो गयी। वर्ष 2010–11 के सापेक्ष वर्ष 2011–12 के दौरान योजनागत राजस्व व्यय में ₹ 1587 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 673 करोड़), अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण (₹ 501 करोड़), सामान्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 178 करोड़) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 157 करोड़) के अंतर्गत वृद्धि होना था। तथापि योजनागत राजस्व व्यय (₹ 12487 करोड़) बजट अनुमान (₹ 27503 करोड़) से ₹ 15016 करोड़ (55 प्रतिशत) कम था जिसका विवरण **परिशिष्ट 1.4** में दिया गया है।

गैर योजना राजस्व व्यय

वर्ष 2011–12 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय में ₹ 6697 करोड़ (25 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति सेवाएँ (₹ 1941 करोड़) ग्रामीण विकास (₹ 1134 करोड़), ऊर्जा (₹ 946 करोड़), परिवहन (₹ 154 करोड़) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 144 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण हुई (**परिशिष्ट 1.4**)।

गैर योजना राजस्व व्यय (₹ 34013 करोड़) बजट प्राक्कलन (₹ 37823 करोड़) में किए गए मानकी प्रक्षेप से 10 प्रतिशत (₹ 3810 करोड़) कम था। तथापि, गैर योजना राजस्व व्यय का अंश वर्ष 2007–08 में 63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 59 प्रतिशत हो गया।

पूँजीगत व्यय


- पूर्व वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में चार प्रतिशत (₹ 344 करोड़) की कमी मुख्यतः जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास कार्यक्रम (₹ 298 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 115 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹ 87 करोड़) और ऊर्जा (₹ 905 करोड़) पर पूँजीगत परिव्यय शीर्षों के अंतर्गत व्यय में कमी के कारण हुई।
- पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम कुल व्यय का क्रमशः 15 प्रतिशत और तीन प्रतिशत था।

वर्ष 2010–11 में ऋण एवं अग्रिमों पर व्यय का अंश दो प्रतिशत था जो वर्ष के दौरान बढ़कर कुल व्यय का तीन प्रतिशत हो गया जिसका कारण राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में वृद्धि करना था।

क्रियाकलापों के संबंध में कुल व्यय की प्रवृत्ति

क्रियाकलापों के संबंध में, कुल व्यय को सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ, सहायता अनुदान पर व्यय से संरचित माना जा सकता है। कुल व्यय में इन अवयवों का सापेक्ष अंश चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7 वर्ष 2007–12 के दौरान के “आर्थिक वर्गीकरण” के संबंध में कुल व्यय के संरचना को प्रदर्शित करता है।



(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

व्यय के विभिन्न घटकों के पारस्परिक अंश का संचलन यह प्रदर्शित करता है कि ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का अंश जहाँ 2007–08 में 31.67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009–10 में 30.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2011–12 में 32.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं का अंश वर्ष 2007–08 में 32.69 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 34.32 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2011–12 में यह 33.82 प्रतिशत रहा।

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2010–11 में ₹ 38215.92 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 46499.49 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय का गैर योजना राजस्व व्यय एवं योजना राजस्व व्यय में विभाजन यह दर्शाता है कि गैर योजना राजस्व व्यय का समानुपातिक अंश योजना राजस्व व्यय से अपेक्षाकृत अधिक था।

यद्यपि, कुल व्यय में सामान्य सेवा एवं आर्थिक सेवा के अंश में वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक थोड़ी सी वृद्धि हुई, तथापि, इस अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं के अंश में थोड़ी-सी कमी आई। ₹ 8283.57 करोड़ की कुल वृद्धि में गैर योजना राजस्व व्यय तथा योजनागत राजस्व व्यय में हुए क्रमशः ₹ 6696.25 करोड़ तथा ₹ 1587.32 करोड़ तथा ₹ 1587.32 करोड़ शामिल है। वर्ष 2011–12 में गैर योजना राजस्व व्यय ₹ 34013 करोड़, तेरहवें वित्त आयोग के विवरणात्मक आकलन (₹ 26475 करोड़) से अधिक था, परंतु बजट प्राक्कलन (₹ 37823 करोड़) से कम था।

1.4.2 ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

तालिका 1.7 वर्ष 2007–12 के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण के पुनर्भुगतान के अवयवों पर व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती हैं।

तालिका 1.7 : ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण के पुनर्भुगतान के अवयवों पर व्यय की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	व्यय के मद	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
						बजट अनुमान	व्यय
1	वेतन	6469.53 (22.93)	7545.61 (22.88)	9658.74 (27.19)	10549.85 (23.69)	12777.92	12193.69 (23.76)
2	गैर योजना के अंतर्गत	5914.81 (20.97)	6996.20 (21.21)	9001.42 (25.34)	9954.35 (22.35)	12451.18	11494.50 (22.40)
3	योजना के अंतर्गत *	554.72 (1.97)	549.41 (1.67)	657.32 (1.85)	595.51 (1.34)	326.74	699.19 (1.36)
4	ब्याज भुगतान	3706.99 (13.14)	3752.94 (11.38)	3685.48 (10.37)	4319.16 (9.70)	4738.51	4303.66 (8.39)
5	पेंशन	2788.94 (9.89)	3479.03 (10.55)	4318.70 (12.16)	6143.86 (13.80)	7584.26	7808.45 (15.22)
6	ऋण पुनर्भुगतान	1631.85 (25.22)	1682.28 (22.29)	1982.99 (20.53)	2190.03 (20.76)	2907.89	2922.46 (23.97)
7	सब्सिडी	402.36 (1.43)	808.31 (2.45)	944.39 (2.66)	1349.96 (3.03)	0.00	2672.27 (5.21)
8	योग (1+4+5+6+7)	14999.67 (53.17)	17268.17 (52.36)	20590.30 (57.96)	24552.86 (55.13)	28008.58	29900.53 (58.26)
9	अन्य अवयव	8563.20 (30.36)	11243.41 (34.09)	11993.87 (33.76)	13663.06 (30.68)	21924.98	16598.96 (32.34)
10	राजस्व व्यय	23562.87	28511.58	32584.17	38215.92	49933.56	46499.49
11	राजस्व प्राप्तियाँ	28209.72	32980.69	35526.83	44532.32	56205.86	51320.17

काप्टक में दिये गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाता है।

*योजना शीर्ष में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत वेतन पर किया गया व्यय शामिल है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा वर्ष 2011-12 का बजट)

वेतन पर व्यय

वेतन पर व्यय की राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता वर्ष 2009-10 में 27.19 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 23.76 प्रतिशत हो गयी। वेतन पर ₹ 12193.69 करोड़ का व्यय तेरहवें वित्त आयोग (₹ 9707.99 करोड़) से ₹ 2485.70 करोड़ अधिक था परन्तु बजट अनुमान (₹ 12777.92 करोड़) से ₹ 584.23 करोड़ कम था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान (₹ 4303.66 करोड़) में गत पाँच वर्षों (2007-12) में 16.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों की ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2007-08 में 13.14 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 8.39 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 4303.66 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गए आकलन (₹ 4763.57 करोड़) तथा बजट अनुमान (₹ 4738.51 करोड़) के भीतर था।

पेंशन भुगतान

पेंशन पर व्यय (₹ 7808.45 करोड़) वर्ष के दौरान राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति का 15.22 प्रतिशत था। यह व्यय तेरहवें वित्त आयोग के मूल्यांकन ₹ 4245.11 करोड़ से ₹ 3563.34 करोड़ (83.94 प्रतिशत) अधिक था तथा वर्ष के दौरान बजट प्राक्कलन ₹ 7584.26 करोड़ से ₹ 224.19 करोड़ (2.96 प्रतिशत) अधिक था।

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय

ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय की राजस्व प्राप्ति प्रतिशतता वर्ष 2007-08 में 25.22 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 23.97 प्रतिशत हो गयी। इस व्यय में बजट अनुमान (₹ 2907.89 करोड़) से ₹ 14.57 करोड़ (0.50 प्रतिशत) की मामूली बढ़त हुई।

सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज से वंचित श्रेणी के लोगों को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात है। जनता को अनुदान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता हैं किंतु य संस्थानों को बजटीय सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो कि सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, कि कम वसूली अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 2672.27 करोड़ था जो पूर्व वर्ष से 97.95 प्रतिशत अधिक था तथा कुल राजस्व व्यय का 5.75 प्रतिशत था। इसमें से ₹ 2133.39 करोड़ संसाधन पूर्ति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 207.87 करोड़ कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु, ₹ 165 करोड़ औद्योगिक नीति के अंतर्गत वैट सब्सिडी हेतु तथा ₹ 120 करोड़ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सब्सिडी हेतु दिया गया। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को दी गयी संसाधन पूर्ति पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 1053.39 करोड़ अधिक थी।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान द्वारा सहायता दी गयी जिसे नीचे तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 :स्थानीय निकाय और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
शैक्षणिक संस्थाएँ (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय)	808.58	966.80	613.07	1940.11	5581.07
नगर निगम एवं नगर निकाय	209.40	950.04	997.68	690.21	557.30
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज्य संस्थाएँ	13.16	900.05	1395.22	1515.34	2534.41
विकास एजेन्सियाँ	1.88	26.84	984.13	394.24	3029.74
अस्पताल एवं अन्य सहायतार्थ संस्थाएँ	5.00	20.51	33.44	53.67	25.00
अन्य संस्थाएँ	95.35	1558.25	356.33	28.25	2716.16
योग	1133.37	4422.49	4379.87	4621.82	14443.68
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	4.81	15.51	13.44	12.09	31.06

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वित्तीय सहायता वर्ष 2010–11 में ₹ 4622 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 14444 करोड़⁵ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 9822 करोड़ (213 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाएँ (₹ 3641 करोड़), जिला परिषद् तथा पंचायती राज (₹ 1019 करोड़), विकास एजेन्सियाँ (₹ 2636 करोड़) तथा अन्य संस्थाओं (₹ 2688 करोड़) को दी गयी सहायता में वृद्धि होना था। तथापि, नगर निगम एवं नगर निकाय तथा अस्पतालों और अन्य सहायतार्थ संस्थाओं को दी गयी सहायता में क्रमशः ₹ 133 करोड़ और ₹ 29 करोड़ कमी आई।

अन्य संस्थाओं (₹ 2716 करोड़) के व्यय के विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि मुख्य व्यय बिहार राज्य फसल बीमा निधि (राज्य फसल बीमा निधि को अनुदान किसानों के बीमाकृत अनाज के भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति के कारण) ₹ 244.94 करोड़⁶ बिहार कृषि प्रबंधन तथा विस्तार (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) ₹ 414.69 करोड़, बिहार राज्य फसल बीमा निधि (फसल बीमा योजना हेतु) ₹ 215.95 करोड़, बिहार ग्रामीण विकास समिति (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) ₹ 196.50 करोड़, खाद्य प्रसंस्करण इकाई (खाद्य

⁵ वित्त लेखा के नोट सं. 8 के अनुसार कोषागार प्रमाणक से छो.एल.सी. में प्रविष्ट डाटा के आधार पर कुल संवितरित सहायता अनुदान ₹ 14444 करोड़ है। इसके विरुद्ध, विभिन्न विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को सिर्फ ₹ 12849 करोड़ का ही सहायता अनुदान के लिए 391 संस्थाकृतियाँ प्राप्त हुईं।

⁶ दिखाये गए व्यय में से ₹ 190.45 करोड़ सहकारिता विभाग के बिहार राज्य फसल बीमा निधि के अंतर्गत बैंक खाते में पड़े थे।

प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन) ₹ 158.16 करोड़, प्रखंड विकास पदाधिकारी (पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति) ₹ 143.63 करोड़, उप निदेशक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार (महादलित के विकास हेतु) ₹ 118 करोड़, प्रखंड/नगर पंचायत (इंदिरा गांधी नवीकरण ऊर्जा), विकास एजेन्सियॉ (प्रशासनिक व्यय हेतु सहायता) ₹ 64 करोड़ तथा आई.सी.डी.एस. (आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाक योजना) के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ₹ 23.25 करोड़ आदि में था।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर करने में, चाहे वह आधारभूत संरचना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में बेहतरी हो, सामान्यतः व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन अवयवों पर निर्भर करता है, जैसे व्यय की पर्याप्तता, उपयोग करने की क्षमता और व्यय लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यय की प्रभावकारिता। उपर्युक्त आधार पर व्यय की गुणवत्ता के लेखा परीक्षा आकलन से निम्न तथ्य प्रकट हुआ।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्वों को बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को सौंपा जाता है। मानवीय विकास स्तरों में वृद्धि हेतु राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि सदृश सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एकत्रित व्यय के श्रेणी के अंतर्गत व्यय का औसत), अगर अपने राष्ट्रीय औसत से निम्न है, इसे संबंधित क्षेत्र से संयुक्त किया जाता है।

तालिका 1.9 वर्ष 2011–12 के अवधि में विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबंधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.9 : वर्ष 2008–09 तथा 2011–12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं राजकोषीय क्षमता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	(प्रतिशतता में)					
	ए.इ./ जी.एस. डी.पी.	डी.इ.#/ ए.ई.	एस.एस. ई.एर्स.	सी.इ./ ए.इ.	ई.डी.एन./ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
*सामान्य श्रेणी का औसत (अनुपात) 2008-09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
बिहार राज्य का औसत (अनुपात) 2008-09	23.41	69.73	36.32	18.13	19.39	3.63
सामान्य श्रेणी के राज्य का औसत (अनुपात) 2011-12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
बिहार का औसत (अनुपात) 2011-12	21.83	67.94	34.12	15.46	17.84	3.71

* जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत अनुसार
ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूँजीगत व्यय, ई.डी.ए.न.: शिक्षा
डी.इ.: विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा संवितरित क्रांण एवं आग्रेम शामिल हैं।

(स्त्रोत: संबंधित वर्ष के वित लेखा, जी.एस.डी.पी. हेतु सांख्यिकी एवं आर्थिक निदेशालय, बिहार सरकार)

तालिका 1.9निम्न को दर्शाती है:

- बिहार सामान्य श्रेणी की राज्यों⁷ की तुलना में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उच्चतम अनुपात समस्त व्यय पर खर्च कर रहा है। तथापि वर्ष 2008–09 की तुलना में बिहार ने चालू वर्ष में समस्त व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कम अनुपात खर्च किया है।
- बिहार में वर्ष 2011–12 के दौरान समस्त व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय वर्ष 2008–09 साथ ही 2011–12 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था जो यह प्रदर्शित करता है कि विकास व्यय पर पर्याप्त प्राथमिकता दी गयी।

⁷ यह औसत दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी को छोड़कर अन्य 16 सामान्य श्रेणी के राज्यों का है।

- बिहार में वर्ष 2008–09 साथ ही 2011–12 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में समग्र सामाजिक क्षेत्र तथा शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त प्राथमिकता दी गई परंतु स्वास्थ्य क्षेत्र में कम प्राथमिकता दी गयी ।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2011–12 में अधिक रहा । भौतिक पूँजी की रचना की बढ़ी प्राथमिकता से टिकाऊ परिसंपत्ति के सृजन के साथ राज्य के विकास में वृद्धि की आशा भी बढ़ेगी ।

1.5.2 व्यय की दक्षता

विकास शीर्षों⁸ पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक गुड्स और मैरिट गुड्स⁹ के प्रावधान पर बल दे । विकासात्मक व्यय¹⁰ के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंबित होता है । कुल व्यय (तथा/या सकल राज्य घरेलू उत्पाद) पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात व्यय का बेहतर गुण होगा ।

सामाजिक आर्थिक सेवाओं में ऋण अग्रिम सहित विकासात्मक व्यय में राजस्व एवं पूँजीगत व्यय समाविष्ट होते हैं ।

पूँजीगत व्यय के अनुपात से कुल व्यय (और/या जी.एस.डी.पी.) तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर राजस्व व्यय के अनुपात के द्वारा व्यय उपयोग की दक्षता भी प्रतिबिंबित होती है । इन अवयवों और कुल व्यय (एवं/या जी.एस.डी.पी.) का अनुपात के उच्चतर होने से व्यय की गुणवत्ता ही बेहतर होगी ।

तालिका 1.10 तथा चार्ट 1.8 वर्ष 2007–12 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष में विकासात्मक व्यय के प्रवृत्ति को दर्शाते हैं:

तालिका 1.10: कुल व्यय से संबंधित विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के अवयव	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
विकासात्मक व्यय (क से ग) (कुल व्यय से विकासात्मक व्यय का प्रतिशतता)	20452 (68.31)	24752 (69.73)	28222 (69.15)	32814 (67.64)	38900 (67.94)
क. विकासात्मक राजस्व व्यय #	14306(47.78)	17978(50.64)	20274(49.68)	22926(47.26)	28767(50.24)
ख. विकासात्मक पूँजीगत व्यय #	5881(19.64)	6230(17.55)	7058(17.29)	8800(18.14)	8244(14.40)
ग. विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम	265 (0.89)	544 (1.53)	890 (2.18)	1088(2.24)	1889 (3.30)

कोंडक में दिखाए गए आंकड़े कुल व्यय से विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

इसमें सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय शामिल हैं ।


(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेख)

⁸ विकास शीर्षों के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है ।

⁹ कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते हैं कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि-व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सङ्करण उत्पादन आदि ।

मेरिट गुड्स वे सौदा हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा रोजासाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता अनुदानित करना होगा जबकि उपयोग को बढ़ाना चाहती है । ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और वीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता आदि शामिल हैं ।

¹⁰ व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर-विकास व्यय के रूप में अलग-अलग किया गया है । राजस्व लेख से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है । विरत्तु रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय माना गया है ।



विकासात्मक व्यय में समाविष्ट राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम वर्ष 2007-08 में ₹ 20452 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 38900 करोड़ हो गयी। वर्ष 2007-12 के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में यह लगभग 68 प्रतिशत था।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.11 वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर हुए पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के अवयवों का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.11 : चयनित सेवाओं पर व्यय की दक्षता एवं उनके उपयोग

(प्रतिशतता)

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2010-11		2011-12	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश
सामाजिक सेवाएँ (एस.एस.)				
सामान्य शिक्षा	0.15	44.60	0.32	43.28
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9.90	73.32	15.11	72.89
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	27.06	10.28	16.23	11.59
योग (एस.एस.)	6.71	43.25	4.81	43.21
आर्थिक सेवाएँ (ई.एस.)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	0.83	19.57	5.77	23.78
सिंचाइ एवं बाढ़ नियंत्रण	51.04	47.73	59.96	47.15
पिद्युत एवं ऊर्जा	45.31	-	4.51	-
परिवहन	86.52	25.73	83.75	23.30
योग (ई.एस.)	55.51	22.86	50.26	20.34
योग (एस.एस.+ई.एस.)	30.72	36.80	25.98	36.05

(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित लेखे)

उपर्युक्त तालिका 1.11 में वर्णित प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि इन शीर्षों पर हुए कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में इन चयनित सामाजिक-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत व्यय वर्ष 2010-11 में 30.72 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 25.98 प्रतिशत हो गया, जो राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। इन शीर्षों के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का

अध्याय 1—राज्य सरकार का वित्त

अंश वर्ष 2010–11 में 36.80 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 36.05 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकरात्मक परिवर्तन इंगित करता है।

चयनित सेवाओं में, कुल व्यय के सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2010–11 में 6.71 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 4.81 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय के चयनित आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2010–11 में 55.51 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 50.26 प्रतिशत हो गया। यह कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं में जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास और आर्थिक सेवाओं में विद्युत एवं ऊर्जा तथा परिवहन के अंतर्गत देखी गयी।

चयनित सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी अंश वर्ष 2010–11 में 43.25 प्रतिशत से थोड़ा घटकर वर्ष 2011–12 में 43.21 प्रतिशत हो गया जबकि चयनित आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश वर्ष 2010–11 में 22.86 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011–12 में 20.34 प्रतिशत हो गया। यह कमी मुख्यतः आर्थिक सेवाओं में परिवहन और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण एवं सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत सामान्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत देखी गयी। उसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलाप तथा सामाजिक सेवाओं में जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास तथा शहरी विकास के अंतर्गत देखी गयी।

1.6 सरकारी व्ययों एवं निवेशों का विश्लेषण

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लागू होने के बाद राज्य सरकार से यह आशा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय धाटा (और उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखे, बल्कि आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेश पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए उधार निधि के अपने व्यय की वापरी के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है न कि उसे अपने बजट में निहित आर्थिक सहायता के रूप में ढाने और वित्तीय कार्यवाही में पारदर्शिता दर्शाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

यह भाग चालू वर्ष यथा पूर्व वर्षों के दौरान राज्य सरकार के निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण कार्यों पर निधि के अवरुद्ध होने से (मुकदमेबाजी के कारण रुके हुए कार्य सहित) व्यय की गुणवत्ता पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा। तालिका 1.13 में 31 मार्च 2012 तक के अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार सूचनाएँ दी गई है। सम्मिलित रूप से 380 योजनाओं/परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3395.35 करोड़) को मार्च 2012 तक पूर्ण होना था परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1579.46 करोड़ अवरुद्ध हो गया। इसके अतिरिक्त, यह प्रकट हुआ कि जल संसाधन विभाग (08), पथ निर्माण विभाग (03) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (01) जैसे 12 योजनाओं/परियोजनाओं में ₹ 22.20 करोड़ तक लागत वृद्धि सीमा पार कर गयी जैसा कि परिशिष्ट 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12 अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	मार्च 2012 की संचित व्यय	लागत वृद्धि	
				राख्या	राशि
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	254	1263.79	567.58	0	0
राष्ट्रीय राजमार्ग	09	64.35	30.52	1	0.29
भवन निर्माण	12	40.97	25.08	-	-
जल संसाधन	80	1856.98	875.98	8	20.60
पथ निर्माण	25	169.26	80.30	3	1.31
योग	380	3395.35	1579.46	12	22.20

(स्रोत :राज्य वित्त लेखे, 2011–12)

निर्दिष्ट समय—सीमा के अंदर इन परियोजनाओं/कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण न केवल मूल्य आदि में वृद्धि हुई बरन् राज्य भी लम्बे समय से इन लाभों से वंचित रहा।

1.6.2 निवेश एवं वापसी

31 मार्च 2012 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में ₹ 920.82 करोड़ निवेश किया था, जो कि तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: निवेश पर वापसी

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	828.68	832.18	856.18	905.24	920.82
वापसी (₹ करोड़ में)	3.19	2.14	2.06	2.53	1.40
वापसी (प्रतिशत)	0.38	0.26	0.24	0.28	0.15
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.15	7.93	6.48	6.87	6.35
ब्याज दर एवं वापसी के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.77	7.67	6.24	6.59	6.20

(स्त्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेख)

उपर्युक्त तालिका 1.13 से स्पष्ट है कि गत पाँच वर्षों में इन निवेशों पर औसत वापसी 0.26 प्रतिशत था जबकि सरकार द्वारा वर्ष 2007-12 के दौरान इन उधारों पर 6.96 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया गया।

विभिन्न तत्वों के पूँजीगत अंश में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गए ₹ 920.82 करोड़ में तीन सांविधिक निगमों में ₹ 105.63 करोड़, 39 सरकारी कंपनियों में ₹ 403 करोड़, 10 अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं हिस्सेदारी में ₹ 3.88 करोड़ तथा 16 सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में ₹ 378.12 करोड़ निवेश किया गया। वर्ष के दौरान ₹ 5.58 करोड़ सरकारी निवेश किया गया। इनमें से दो करोड़ सरकारी कंपनी में निवेश किया गया।

वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 920.82 के निवेश के विरुद्ध ₹ 1.40 करोड़ का मामूली वापसी हुआ। नमूना जाँच में यह प्रकट हुआ कि आठ सरकारी कंपनियों/निगमों¹¹ में इकिवटी (₹ 153.82 करोड़) तथा ऋण (₹ 813.92 करोड़) में ₹ 967.74 करोड़ के निवेश के विरुद्ध ₹ 1366.56 करोड़ की हानि हुई। परिणामस्वरूप, इन आठ कंपनियों/निगमों में निवेश की पूरी राशि की वसूली नहीं हुई। उसी प्रकार, 15 सरकारी कंपनियों/निगमों में ₹ 243.79 करोड़ के निवेश से ₹ 215.19 करोड़ की क्षति हुई (परिशिष्ट 1.9 में विवरणी दी गई है)। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, सभी राज्यों को मार्च 2011 तक अकार्यरत लोक क्षेत्र उपक्रमों को समेटने हेतु रोड मैप तैयार किया जाना था। तथापि, संबंधित विभागों द्वारा इस संबंध में कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं की गयी।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी संस्थाओं/समितियों, सरकारी निगमों तथा कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थाओं और संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम धन प्रदान कर राशि दे रही है।

तालिका 1.14 लंबित ऋणों एवं अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियों की स्थिति को तथा विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज के भुगतानों को दर्शाती है।

¹¹ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य वितीय निगम, बिहार राज्य साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बीज निगम, बिहार राज्य डेयरी निगम लिमिटेड, बिहार पाठ्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड तथा बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम।

अध्याय 1—राज्य सरकार का वित्त

तालिका 1.14 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियों/ऋण लागत की राशि	2009-10	2010-11	2011-12
पूर्व शेष	14667.83	15551.42	16642.19
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम	896.78	1102.63	1906.08
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	13.20	11.86	22.51
अंतिम शेष	15551.41	16642.19	18525.76
जिसमें से बकाया शेष शर्ते नियत की गई है			
निवल योग	883.58	1090.77	1883.57
ब्याज प्राप्तियाँ	353.27	237.96	573.70
बकाया ऋण एवं अग्रिम के रूप में ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	2.27	1.43	3.10
राज्य सरकार के बकाया राजकोषीय दायित्व/ ब्याज के भुगतान की प्रतिशतता	6.28	6.87	6.35
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्ति का अंतर (प्रतिशत)	-4.01	-5.44	-3.25

(स्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

चालू वर्ष के दौरान (₹ 1906.08 करोड़) ऋण अग्रिम में पूर्व वर्ष की तुलना में (₹ 1102.63 करोड़) ₹ 803.45 करोड़ (73 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान अग्रिम दी गयी ₹ 1906.08 करोड़ में, ₹ 935.54 करोड़ विद्युत परियोजना हेतु था। इसके अतिरिक्त, ₹ 18525.76 करोड़ की कुल बकाया ऋण में ₹ 14730.25 करोड़ विद्युत क्षेत्र का था। यह प्रदर्शित करता है कि सरकार विद्युत क्षेत्र को ऋण तथा अग्रिम उनके पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज) बिना सुनिश्चित किये प्रदान कर रहीं थीं। नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि विहार राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष 2011–12 तक ₹ 13642.81 करोड़ प्रदान किया गया तथा बोर्ड को प्रत्येक वर्ष भारी हानि हो रही थी (परिशिष्ट 1.9)।

1.6.4 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

तालिका 1.15 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गए नकद शेष तथा निवेशों को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.15 नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2012 को	वृद्धि/कमी
नकद शेष	2735.44	1509.45	-1225..99
नकद शेष से निवेश (क से घ)	2294.80	434.46	(-)1860.34
क. भारत सरकार का कोषागार बिल	0.00	0.00	0.00
ख.भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	2290.15	429.81	(-)1860.34
ग. अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
घ. अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
तारांकित शेष (क से ग) से निवेश का निधिवार विखंडन	440.10	676.53	236.43
क. अकाल राहत कोष	0.10	0.10	0.00
ख. निक्षेप निधि	440.00	676.43	236.43
ब्याज प्राप्ति	222.08	236.53	14.45

*वृद्धि नहीं, 00961 पूर्णांक आँकड़ा रखीकार्य

(स्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान नकद शेष ₹ 2735.44 करोड़ से घटकर ₹ 1509.45 करोड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के प्रतिभूतियों में राज्य सरकार के निवेश 31 मार्च 2011 को ₹ 2290.15 करोड़ से घटकर 31 मार्च 2012 को ₹ 429.81 करोड़ हो गयी। 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में तारांकित शेष में निवेश ₹ 236.43 करोड़ बढ़ गया। वर्ष 2011–12 के दौरान निवेश पर ₹ 236.53 करोड़ ब्याज की वसूली वर्ष 2010–11 के दौरान वसूली गयी ब्याज (₹ 222.08 करोड़) से ₹ 14.45 करोड़ अधिक थी।

सरकारी विभाग मुख्यालय, पाँच जिला योजना अधिकारियों¹² प्राचार्य, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर तथा 12 निगमों¹³ परिषदों, उपक्रमों एवं समितियों के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि इन संस्थाओं/संगठनों के 66 वाणिज्यिक बैंक खातों, मियादी जमा आदि में ₹ 2413.57 करोड़ की सरकारी निधि पड़ी थी (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1.10 में) जैसा कि वित्तीय लेखा के विवरणी 1 के पाद टिप्पणी 5 में दर्शाया गया है।

1.7 परिसंपत्ति एवं देनदारी

1.7.1 परिसंपत्ति एवं देनदारी की वृद्धि एवं संरचना

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली सरकार की भूमि और भवन जैसे निर्धारित परिसंपत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं करता है। परिशिष्ट 1.11 31 मार्च 2011 तथा 2012 तक की राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। मुख्य देनदारी आंतरिक ऋण, भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा से प्राप्तियाँ तथा आरक्षित निधि थे जबकि परिसंपत्तियों में पूँजीगत परिव्यय राज्य सरकार को दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल थे।

समग्र देनदारी का अर्थ राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा के अंतर्गत आने वाली देनदारी है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के ऋण और विशेष उद्देश्य हेतु विशिष्ट उद्देशीय परिवहन गारंटी जिनके मूलधन और/या ब्याज की देनदारी राज्य के बजट से ही दी जाती है, सम्मिलित है।

1.7.2 राजकोषीय दायित्व

तालिका 1.16 तथा **चार्ट 1.9** में राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्वों के प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 1.16 : बकाया राजकोषीय दायित्व¹⁴


वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राशि (₹ करोड़ में)	50989.18	54976.75	58689.91	62858.01	67811.84
वृद्धि दर	3.87	7.82	6.75	7.10	7.88
राजकोषीय देयताओं का निम्न से अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)	0.429	0.363	0.331	0.289	0.259
राजस्व प्राप्ति	1.807	1.667	1.652	1.412	1.321
स्वयं के संसाधन	9.086	7.504	6.013	5.791	5.022
राजकोषीय देयताओं की निम्न से उत्पलवक्ता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.260	0.284	0.396	0.313	0.386
राजस्व प्राप्ति	0.174	0.462	0.875	0.280	0.517
स्वयं के संसाधन	0.165	0.256	0.203	0.633	0.323
(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखा)					

राज्य का राजकोषीय दायित्व वर्ष 2007–08 में ₹ 50989.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 67811.84 करोड़ हो गया। पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयता के संघटक को चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।

¹² आरा, भम्भा, बक्सर, मोतिहारी, तथा रोहतास।

¹³ बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (माध्यमिक), बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार ग्रामीण सङ्कर विकास प्राधिकार, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, इंदिरा गांधी अर्थविज्ञान संस्थान तथा बिहार राज्य महिला विकास निगम।

¹⁴ बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि से ऋण एवं अन्य दायित्व।



(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

उपर्युक्त तालिका 1.16 में देखा जा सकता है कि राज्य की कुल राजकोषीय देयताएँ वर्ष 2010-11 में ₹ 62858.01 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 67811.84 करोड़ हो गयी। राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर वर्ष 2010-11 में 7.10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 7.88 प्रतिशत हो गया। तथापि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति राजकोषीय देयताओं का अनुपात वर्ष 2007-08 में 42.88 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 के दौरान 25.86 प्रतिशत हो गया। जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित 30 प्रतिशत के प्रतिमान से कम था। यह चालू वर्ष के लिए बिहार राजकोषीय दायित्व के लक्ष्य 46.40 प्रतिशत से बहुत कम था। वर्ष 2011-12 के अंत में देयताएँ राजस्व प्राप्ति का 1.32 गुणा तथा राज्य के अपने स्त्रोतों का 5.02 गुणा रही। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में इन देयताओं की उत्पलावकता 0.386 थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजकोषीय देयता के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति राज्य के अपने देयताओं को निर्वाह करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

1.7.3 प्रत्याभूति की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

यदि उधार लेने वाला जिसके लिए प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जाती है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दिया जा सकें। राज्य सरकार द्वारा दिये गए गत तीन वर्षों की प्रत्याभूति की स्थिति तालिका 1.17 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.17 : सरकार द्वारा दी गयी गारंटी

गारंटी	2009-10	2010-11	2011-12
गारंटी की अधिकतम राशि	1547.73	1549.03	2049.03
गारंटी की बकाया राशि (पूँजी)	898.83	587.96	1092.34
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम गारंटी राशि की प्रतिशतता	4.36 (35527)	3.48 (44532)	3.99 (51320)
कोष्ठक में आँकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इगत करते हैं।			

(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

यह स्पष्ट था कि वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 504.38 करोड़ राशि की गारंटी दी गयी। 31 मार्च 2012 को मुख्यतः बिहार राज्य खाद्य एवं असैन्य आपूर्ति निगम (₹ 500 करोड़), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 194.68 करोड़), केंटिट कोऑपरेटिव (₹ 157.89 करोड़) तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 127.47 करोड़) के संबंध में गारंटी की ₹ 1092.34 करोड़ की राशि बकाया थी। इसके अतिरिक्त, बारहवें वित्त आयोग की

अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा देयता से मुक्ति हेतु गारंटी शुल्क के जरिये गारंटी मोचन विधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

1.8 ऋण निर्वाहता

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विश्लेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता¹⁵ का निर्धारण करते हैं। प्रतिवेदन का यह प्रमाण पत्र स्थिरता,¹⁶ गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता,¹⁷ उधार ली गई साशियों की निवल अनुपलब्धता,¹⁸ ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋणों की संवर्हनीयता का आकलन करता है।

तालिका 1.18 वर्ष 2007–08 से प्रारंभ होने वाले आगामी पाँच वर्षों की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.18 : ऋण निर्वाहता: सूचकांक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण निर्वाहता के सूचकांक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण रिस्टरता (परिणाम विस्तार + प्रारंभिक अधिशेष)	5925.05	10729.53	-226.39	9449.84	7910.80
गैर-ऋण की पर्याप्तता (संसाधन अंतर)	1318.00	-804.00	-1524	3372	-1485.07
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	-1496.00	93.28	28	71	651
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षों में)*					
शून्य से एक वर्ष (2012)				738.69 (3.66)	
एक से तीन वर्ष (2013–2015)				4450.55 (22.06)	
तीन से पाँच वर्ष (2016–2017)				895.05 (4.44)	
पाँच से सात वर्ष (2018–2019)				7488.93 (37.12)	
सात वर्ष से अधिक (2020 के आगे)				6600.00 (32.72)	
कुल बाजार ऋण				20173.22 (100.00)	

* तालिका में बाजार ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा है जो केवल वर्ष 2011–12 में वित्तीय लेखा में उपलब्ध परिपक्वता का वर्ष है।

कोष्ठक में दिये अँकड़े देय पुनर्भुगतान की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

¹⁵ किसी समयावधि तक ऋण और जी. एस. डी. पी. अनुपात को रिश्टर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण युक्ति के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए वालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों की पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपत्ति की पर्याप्तता का भी जिक करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बावजूद उपलब्ध बनाये रखने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय धारा में वृद्धि ऋण की युक्ति की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।

¹⁶ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर व्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है वशर्त कि आरंभिक शेष या तो शून्य या धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार जी. एस. डी. पी. वृद्धि दर व्याज दर एवं परिणाम विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण की स्थिति दर्शाता है यदि आरंभिक धारा के साथ परिणाम विस्तार शून्य है तो ऋण जी. एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अतः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि प्रारंभिक धारा के साथ विस्तार, ऋणात्मक हो तो ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात बढ़ेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी. एस. डी. पी. अनुपात अंततः घटेगा।

¹⁷ राज्य के बढ़ते हुए गैर-ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों एंवं बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सकें। यदि प्रारंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आरामदायक हो सकती है।

¹⁸ उधार निधियों की निवल उपलब्धता – इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण विमोचन अनुपात (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण विमोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्धता उधार निधियों को दर्शाते हुए किसी मात्रा में ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक सूचकों की स्थिति निम्नवत् थी:

यदि प्रारंभिक घाटा के साथ—साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण—जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगा या ऋण निम्नवत् रिथर होगा। वर्ष 2010–11 की तुलना में प्रमात्रा विस्तार के साथ प्रारंभिक घाटा ₹ 9449.84 करोड़ से घटकर वर्ष 2011–12 में ₹ 7910.80 करोड़ हुआ जो यह दर्शाता है कि ऋण निर्वाहिता में कमी हुई।

उधार निधियों की निवल उपलब्धता वर्ष 2010–11 में ₹ 71 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 651 करोड़ हो गयी।

वर्ष 2011–12 के वित्त लेखे के विवरणी संख्या 6 के अनुसार सरकार ने आंतरिक ऋण में ₹ 5801 करोड़, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में ₹ 827 करोड़, अन्य देयता में ₹ 11943 करोड़ आंतरिक ऋण बढ़ाया तथा ₹ 2457 करोड़ भारत सरकार से ₹ 465 करोड़ के ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान किया और ₹ 10694 करोड़ मूल्य के अन्य देयता विमुक्त किया। फलतः वर्ष के दौरान उधार निधियों की निवल उपलब्धता मात्र ₹ 651 करोड़ थी।


तालिका 1.18 में राज्य ऋण की परिपक्वता दर्शाता है कि कुल ऋण का 30.16 प्रतिशत आने वाले पाँच वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना है और शेष 69.84 प्रतिशत पाँच वर्षों के बाद भुगतान किया जाना। वर्ष 2016–17 की अवधि में ₹ 895.05 करोड़, वर्ष 2018–19 की अवधि में ₹ 7488.93 करोड़ तथा वर्ष 2020 तथा उसके बाद की अवधि के दौरान ₹ 6600 करोड़ ऋण भुगतान के लिए राज्य उत्तरदायी है, इसके लिए ऋण संधारणीयता में सुधार कर निधि संवर्धन करना होगा, जिससे आने वाले समय में ऋण का पुनर्भुगतान किया जा सकें। इन क्रमिक वर्षों में परिपक्व ऋण के अतिरिक्त और कर्ज नहीं लेना पड़े इसके लिए सरकार को ऋण पुनर्भुगतान हेतु सुदृढ़ योजना तैयार करना होगा।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य वित्तीय पैमाने—राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटे—किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के संपूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्ति तथा व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रवृत्ति सरकार के वित्तीय प्रबंधन को इंगित करता है। साथ ही घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है। यह, खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीका को दर्शाता है, साथ ही यह एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक प्राप्त राजस्व के स्तर की गणना करता है।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

राज्य को वर्ष 2007–08 से राजस्व अधिशेष प्राप्त था तथा इसके बाद भी राजस्व अधिशेष बना रहा। चार्ट 1.10 से प्रदर्शित होता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2010–11 के दौरान वास्तविक अधिशेष में ₹ 3373 करोड़ की वृद्धि हुई परन्तु वर्ष 2011–12 में ₹ 1495 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 4821 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेप ₹ 6272 करोड़ से काफी कम था।



(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.19: वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व अधिशेष/जी. एस. डी. पी.	0.039	0.029	0.017	0.029	0.018
राजकोषीय घाटा / जी. एस. डी. पी.	0.014	0.017	0.030	0.018	0.023
प्रारंभिक अधिशेष / जी. एस. डी. पी.	0.017	0.008	-0.009	0.002	-0.006

(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 1495 करोड़ घट गया जिससे राजकोषीय घाटा में वर्ष 2010–11 में ₹ 3971 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 5914 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (जी.एस.डी.पी.) (2.26 प्रतिशत) वर्ष 2011–12 हेतु एफ.आर.बी.एम. अधिनियम प्रक्षेप तीन प्रतिशत के भीतर था।

पुनः प्रारंभिक आधिशेष ₹ 348 करोड़ (2010–11) वर्ष के दौरान ₹ 1610 करोड़ के प्रारंभिक घाटा में परिवर्तित हुआ। (**परिशिष्ट 1.7**)।

1.9.2 राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्तपोषण प्रतिमान

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पोषण प्रतिमान में समग्र परिवर्तन हुए। वर्ष 2011–12 की अवधि में घाटा वित्तीय पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों को तालिका 1.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.20 : राजकोषीय घाटा के घटक एवं इसकी वित्त पोषण

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटा की संरचना	(-)1703.46	(-)2506.97	(-)5273.01	(-)3970.31	(-)5914.90
1 राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	4646.85	4469.11	2942.66	6316.40	4820.68
2 निवल पूँजीगत व्यय	(-)6103.78	(-)6436.35	(-)7332.09	(-)9195.94	(-)8852.01
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)246.53	(-)539.73	(-)883.58	(-)1090.77	(-)1883.57
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण प्रतिमान*					
1 बाजार ऋण	(-)779.56	3757.12	2501.91	1707.78	2593.90
2 भारत सरकार से ऋण	39.75	(-)278.81	(-)49.35	316.03	361.08
3 एन. एस. एफ. की विशेष प्रतिभूति	661.59	529.08	1472.52	1533.39	505.56
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	58.26	238.22	226.32	285.20	244.96
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	268.40	144.41	(-)262.86	252.70	(-)2.13
6 जमा एवं अग्रिम	1700.04	(-)690.52	(-)134.15	50.94	932.91
7 उचंत तथा विविध	(-)2190.35	395.96	(-)290.89	1830.68	1238.71

अध्याय 1—राज्य सरकार का वित्त

	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
8	प्रेषण	618.30	(-)221.57	(-)54.82	79.96	-36.82
9	आरक्षित निधि	(-)44.60	293.24	(-)41.69	23.72	335.93
10	अंतर्राजीय समाशोधन	-	-	-	-	74.02
11	संपूर्ण अधिशेष/घाटा	(-)1371.62	1660.14	-1906.02	6080.37	6248.12
12	नकद शेष में वृद्धि/ कमी				-2110.06	333.22
13	सकल राजकोषीय घाटा				3970.31	5914.90

* ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहिर्गमन के निवल से विवरण, बहिर्गमन

नगद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण
(स्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेख)

तालिका 1.21 : वर्ष 2011–12 के दौरान राजकोषीय घाटा को वित्त पोषण देने वाले प्राप्तियाँ तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार ऋण	4000.00	1406.10	2593.90
2	भारत सरकार से ऋण	826.56	465.48	361.08
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	1112.54	606.98	505.56
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	688.85	443.89	244.96
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1031.81	1033.94	-2.13
6	जमा एवं अग्रिम	9877.98	8945.07	932.91
7	उच्चत और निविधि	124344.11	123105.40	1238.71
8	प्रेषण	9859.15	9895.97	-36.82
9	आरक्षित निधि	1114.53	778.60	335.93
10	अंतर्राजीय समाशोधन	75.41	1.39	74.02
11	संपूर्ण अधिशेष (-) घाटा (+)			6248.12
12	नकद शेष में वृद्धि/ कमी			333.22
13	सकल राजकोषीय घाटा			5914.90

(स्रोत :संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेख)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अंतर को दर्शाता है, वह वर्ष 2010–11 में ₹ 3970.31 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 5914.90 करोड़ हो गया परन्तु यह बजट प्राक्कलन (₹ 6194.03 करोड़) में प्रक्षेपण से कम था।

वर्ष 2010–11 के दौरान राजकोषीय घाटा पूँजीगत व्यय का 43.17 प्रतिशत था परन्तु यह वर्ष 2011–12 के दौरान बढ़कर 66.82 हो गया। वर्ष 2007–08 के दौरान राजकोषीय घाटा मुख्यतः जमा एवं अग्रिम, एन. एस. एस. एफ को जारी विशेष प्रतिभूति तथा प्रेषण द्वारा वित्त पोषित था जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार ऋण, उच्चत एवं निविधि, जमा एवं अग्रिम द्वारा वित्त पोषित था।

1.9.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व¹⁹ प्रारंभिक राजस्व घाटे को गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा इसके गैर प्राप्तियों के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह उस विस्तार को प्रदर्शित करता है जहाँ तक राजस्व घाटा के अंतर्गत प्रारंभिक व्यय को गैर ऋण प्राप्तियाँ पूरा कर सकें। घाटे में अपघटन एवं पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक घाटे का द्विभाजन (तालिका 1.22) उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्रारंभिक घाटा हुआ, पूँजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थ व्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है।

¹⁹ प्राथमिक राजस्व राज्य के घाटा गैर ब्याज राजस्व व्यय एवं इसके गैर ऋण प्राप्ति के रूप में परिभाषित है तथा यह प्रदर्शित करता है कि किस हद तक गैर ऋण प्राप्ति राजस्व लेखा के अंतर्गत किया गया प्राथमिक व्यय को पूरा करने में समग्र है।

तालिका 1.22 : प्रारंभिक घाटा/अधिशेष—कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति ²⁰	प्राथमिक राजस्व व्यय ²¹	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्रारंभिक राजस्व घाटा (-) अधिशेष	प्राथमिक घाटा(-) अधिशेष(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8(2-6)
2007-08	28236	19856	6104 (23)	272	26232	8380	+2004
2008-09	32992	24759	6436 (20)	551	31746	8233	+1246
2009-10	35540	28899	7332 (21)	897	37128	6641	-1588
2010-11	44544	33897	9196(4)	1103	44196	10647	+348
2011-12	51343	42195	8852	1906	52953	9148	-1610

(स्रोत : संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेख)

उपर्युक्त तालिका से प्रदर्शित होता है कि वर्ष 2007-08 के दौरान सरकार को ₹ 8380 करोड़ का राजस्व अधिशेष हुआ जो वर्ष 2009-10 में घटकर ₹ 6641 करोड़ हो गया परन्तु वर्ष 2010-11 में बढ़कर ₹ 10647 करोड़ तथा अंततः वर्ष 2011-12 में घटकर ₹ 9148 करोड़ हो गया। यह मुख्यतः प्राथमिक व्यय (जिसमें प्राथमिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं) में वर्ष 2007-08 में ₹ 26232 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 52953 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ। विस्तृत विवरण से प्रदर्शित होता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय का पूरा करने हेतु पर्याप्त थे तथा इन प्राप्तियों का भाग पूँजीगत व्यय को पूरा करने में प्रयोग किया गया। यद्यपि वर्ष 2007-08 में राज्य का प्राथमिक अधिशेष ₹ 2004 करोड़ था तथापि वर्ष 2011-12 में यह ₹ 1610 करोड़ के प्राथमिक घाटे के रूप में परिणत हुआ।

1.10 निष्कर्ष

राजस्व और व्यय का प्रतिमान

वर्ष के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति स्थिर थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सुरक्षी के बावजूद वर्ष के दौरान बिहार सरकार के राजस्व प्राप्तियों में 15.24 प्रतिशत वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण अपने कर राजस्व में 27.78 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि तथा भारत सरकार द्वारा 16.50 प्रतिशत उच्चतर कर अंतरण था। कर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग तथा बजट प्राक्कलन से क्रमशः 35.58 प्रतिशत तथा 0.23 प्रतिशत अधिक था। तथापि करेतर राजस्व में वर्ष के दौरान 9.71 प्रतिशत की कमी मुख्यतः वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण माफी की वसूली तथा झारखंड सरकार द्वारा पूर्व पुनर्गठन अवधि के पेंशन देयता का भुगतान नहीं करने के कारण हुई।

वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 21.68 प्रतिशत (₹ 8283.57 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर व्यय में 15.98 प्रतिशत (₹ 2442.75 करोड़), सामाजिक सेवाओं में 24.12 प्रतिशत (₹ 3639.36 करोड़) तथा आर्थिक सेवाओं में 28.09 प्रतिशत (₹ 2201.54 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय में ₹ 6697 करोड़ (25 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति सेवा (₹ 1941 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 1134 करोड़), ऊर्जा (₹ 946 करोड़), परिवहन (₹ 154 करोड़) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 144 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

योजना राजस्व व्यय में वर्ष 2010-11 के सापेक्ष वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1587 करोड़ (15 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 673 करोड़), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े जातियों का कल्याण (₹ 501 करोड़), सामान्य आर्थिक सेवाएँ (₹ 178 करोड़) तथा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (₹ 157 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

²⁰ राजस्व प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम की वसूली का संग्रहित रूप गैर ऋण प्राप्ति है।²¹ प्राथमिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एवं व्याज भुगतान में अंतर है।

पूर्व वर्ष की तुलना में सब्सिडी के अंतर्गत व्यय में 97.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो राजस्व व्यय का छः प्रतिशत था।

पूर्व वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में ₹ 344 करोड़ की कमी हुई एवं यह कुल व्यय का 15 प्रतिशत लेखांकित किया गया।

सरकारी निवेश की समीक्षा

गत पाँच वर्षों में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में राज्य सरकार के निवेश का औसत प्रतिलाभ 0.26 प्रतिशत था जबकि इस अवधि के दौरान सरकार ने अपने उधारी पर 6.96 प्रतिशत की दर से औसत ब्याज का भुगतान किया।

राजकोषीय माप

वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 4821 करोड़ का राजस्व अधिशेष राज्य के बजट प्रक्षेप (₹ 6272 करोड़) से काफी कम था।

पूर्व वर्ष की तुलना में राजकोषीय घाटा (₹ 5914 करोड़) में कमी आई तथा यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 226 प्रतिशत था परन्तु यह तरहवें वित्त आयोग तथा राज्य के अपने एफ. आर. बी. एम अधिनियम की सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था।

पूर्व वर्ष की तुलना में राजकोषीय देयता (₹ 67811.84 करोड़) बढ़ गया। राजकोषीय देयता तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 25.86 प्रतिशत तरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 30 प्रतिशत के मानक से कम था।

राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा निधि का सीधा हस्तांतरण

वर्ष 2011–12 के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को सीधे ₹ 8958 करोड़ हस्तांतरित किया। ये निधियाँ राज्य बजट से होकर नहीं गुजरती। इन एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा सीधे निधि के हस्तांतरण हेतु पर्याप्त नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता है ताकि निधियों के उपयोग में चूक प्रभावी रूप से दूर हो तथा जिसके अभाव में राजकोषीय प्रचालन तथा दायित्व में एफ. आर. बी. एम. के आवश्यक पारदर्शिता प्रभावित और अवरुद्ध हो सकती है।

1.11 अनुशँसाएँ

- राज्य को अपने करेतर राजस्व को बढ़ाने हेतु प्रयास करना चाहिए।
- यह अति आवश्यक है कि राज्य संग्रहित प्रत्याभूति शूल्क द्वारा वित्त पोषित प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना करें। यह इस निधि से प्रत्याभूत राशि का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करेगी।
- वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को सीधे हस्तांतरित किये गयी केन्द्रीय निधियाँ व्यय की भारी राशि थी तथापि राज्य कियान्वयन एजेन्सियों के पास कोई एकरूप लेखाकारण प्रणाली अथवा इन निधियों के उपयोग संबंधी रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल नहीं था। चूँकि वर्ष के दौरान वास्तव में उपयोग किये गए निधि की राशि संबंधी निश्चितता नहीं थी अतः राज्य सरकार तथा भारत सरकार दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को सीधे हस्तांतरित केन्द्रीय विधि के बेहतर अनुश्रवण पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व प्रणाली संस्थापित करें।
- राज्य अच्छे पूँजी निवेश को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए। वे परियोजनाएँ जिनका औचित्य निम्न वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक रिटर्न के कारण हैं, उन्हें विहिन्त किया जाए तथा वहाँ उच्च लागत उधारी के प्रचालन (चैनलिंग) हेतु पूर्ण समर्थन के साथ प्राथमिकता दी जाय।
- सरकार राज्य लोक क्षेत्र उपक्रम पुर्नजीवित की स्थिति की समीक्षा करें तथा सक्षम बनाये जाने योग्य उपक्रमों को पुर्नजीवित करने के लिए एक रणनीति बनाए। वैसे लोक क्षेत्र उपक्रम जिन्हें जीवित नहीं किया जा सके उन्हें बंद कर दिया जाय।